



विषय-वस्तु

खंड

पृष्ठ

I. रिज़र्व बैंक का स्पष्टीकरण	1
II. विनियमन	1-3
III. वित्तीय बाज़ार	3
IV. विदेशी मुद्रा	3
V. पर्यवेक्षण	3-4
VI. मुद्रा जारीकर्ता	4
VII. प्रकाशन	4
VIII. जारी आंकड़े	4

संपादक की कलम से

आज के अत्यधिक परस्पर संबद्ध विश्व में, आपसी तालमेल को बढ़ावा देना जरूरी हो गया है। समग्र स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए सहयोग महत्वपूर्ण है, जिसमें धारणीय संवृद्धि, मूल्य स्थिरता और वित्तीय आघात-सहनीयता शामिल है। एक साथ काम करके, हम अधिक मजबूत, अनुकूलनीय और व्यावहारिक नीतिगत ढांचे विकसित कर सकते हैं जो समाज के लिए बेहतर परिणाम ला सकते हैं।

मोनेटरी एवं क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिव्यू (एमसीआईआर) के नवंबर 2024 संस्करण में आपका स्वागत है, जिसमें आपसी तालमेल को बढ़ावा देने और अन्य महत्वपूर्ण नीतिगत पहलों पर प्रगति को बढ़ावा देने के लिए बैंक के प्रयासों पर प्रकाश डाला गया है।

हम सटीक जानकारी साझा करने, गहन समझ को बढ़ावा देने और संपर्क में बने रहने के अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध हैं। एमसीआईआर को <https://mcir.rbi.org.in> पर या क्यूआर कोड स्कैन करके भी एक्सेस किया जा सकता है।

हम आपकी प्रतिक्रिया का mcir@rbi.org.in पर स्वागत करते हैं।

पुनीत पंचोली
संपादक

I. रिज़र्व बैंक का स्पष्टीकरण

रिज़र्व बैंक ने जनता को शीर्ष प्रबंधन के फर्जी (डीपफेक) वीडियो के प्रति सतर्क किया

रिज़र्व बैंक ने 19 नवंबर 2024 को सोशल मीडिया पर प्रसारित गवर्नर के फर्जी वीडियो के बारे में स्पष्टीकरण जारी किया, जिनमें रिज़र्व बैंक द्वारा निवेश योजनाओं को शुरू करने और उनको समर्थन प्रदान करने का दावा किया गया है। इन वीडियो में लोगों को तकनीकी उपकरणों के माध्यम से ऐसी योजनाओं में अपना पैसा निवेश करने की सलाह देने का प्रयास किया गया है। रिज़र्व बैंक ने स्पष्ट किया कि उसके अधिकारी ऐसी किसी गतिविधि में शामिल नहीं हैं और न ही उसका समर्थन करते हैं तथा ये वीडियो फर्जी हैं। रिज़र्व बैंक ऐसी कोई वित्तीय निवेश सलाह नहीं देता है। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया [यहाँ](#) क्लिक करें।

II. विनियमन

भारतीय रिज़र्व बैंक और मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण - समझौता ज्ञापन (एमओयू)

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) और मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण (एमएमए) ने 21 नवंबर 2024 को मुंबई में सीमा-पारीय लेनदेन के लिए स्थानीय मुद्राओं अर्थात् भारतीय रुपया (आईएनआर) और मालदीवियन रूफिया (एमवीआर) के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक रूपरेखा तैयार करने हेतु एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। इस समझौता ज्ञापन पर श्री शक्तिकान्त दास, गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक और श्री अहमद मुनव्वर, गवर्नर, मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण ने हस्ताक्षर किए। यह एमओयू चालू खाता लेनदेन, स्वीकार्य पूंजी खाता लेनदेन तथा दोनों देशों द्वारा सहमत किसी भी अन्य आर्थिक और वित्तीय लेनदेन में आईएनआर और एमवीआर के उपयोग को प्रोत्साहित करता है। यह ढांचा निर्यातकों और आयातकों को अपनी-अपनी घरेलू मुद्राओं में बीजक बनाने और निपटान करने में सक्षम बनाएगा, जो परिणामस्वरूप विदेशी मुद्रा बाज़ार में आईएनआर-एमवीआर युग्म में व्यापार के विकास को सक्षम करेगा। स्थानीय मुद्राओं के उपयोग से लेनदेन के लिए लागत और निपटान समय का अनुकूलन होगा। द्विपक्षीय लेनदेन में स्थानीय मुद्राओं का उपयोग अंततः भारत और मालदीव के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के साथ-साथ वित्तीय एकीकरण को गहन बनाने तथा भारत और मालदीव के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने में योगदान देगा। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया [यहाँ](#) क्लिक करें।

ग्लोबल साउथ के केंद्रीय बैंकों का उच्च स्तरीय नीतिगत सम्मेलन: आपसी तालमेल बनाना

रिज़र्व बैंक ने 21-22 नवंबर 2024 के दौरान मुंबई में ग्लोबल साउथ के केंद्रीय बैंकों का उच्च-स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया। सम्मेलन का विषय था ग्लोबल साउथ के केंद्रीय बैंकिंग समुदाय के बीच "तालमेल बनाना"। वर्ष के दौरान भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा आयोजित किए जा रहे कतिपय सम्मेलनों और संगोष्ठियों के भाग के रूप में यह तीसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है। इस सम्मेलन में 18 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिनमें ग्लोबल साउथ के केंद्रीय बैंकों के गवर्नर, उप गवर्नर और अन्य केंद्रीय बैंक अधिकारीगण शामिल थे। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य ग्लोबल साउथ के लिए अत्यंत समृद्ध, स्थिर और धारणीय भविष्य हेतु पारस्परिक रूप से लाभकारी साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए समकालीन प्रासंगिक मुद्दों पर अपने अनुभव और दृष्टिकोण साझा करना था। सम्मेलन में रिज़र्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड के निदेशक, सचिव और केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारीगण, बहुपक्षीय संस्थानों के विशेषज्ञ, रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर और वरिष्ठ प्रबंधन तथा अन्य अधिकारीगण, वाणिज्यिक बैंकों के शीर्ष कार्यपालक, वित्तीय बाज़ार के प्रतिभागी, शिक्षाविद, अर्थशास्त्री और प्रतिष्ठित व्यक्ति भी शामिल हुए।

श्री शक्तिकान्त दास, गवर्नर, रिज़र्व बैंक ने अपने मुख्य भाषण में इस बात पर प्रकाश डाला कि वैश्विक प्रभाव-विस्तार, बाह्य क्षेत्र में असंतुलन, सीमित राजकोपीय स्पेस, ऋण का उच्च स्तर और वित्तीय बाज़ार में निरंतर अस्थिरता के बीच समग्र स्थिरता बनाए रखना, जिसमें सतत संवृद्धि, मूल्य स्थिरता और वित्तीय स्थिरता शामिल है, ग्लोबल साउथ के देशों के लिए एक कठिन चुनौती है। केंद्रीय बैंकों को अत्यंत सुदृढ़, यथार्थवादी और गतिशील नीतिगत ढांचे की दिशा में काम करने की आवश्यकता है, जो बेहतर सामाजिक परिणाम के लिए मौद्रिक, विवेकपूर्ण, राजकोपीय और संरचनात्मक नीतियों का तालमेलपूर्वक उपयोग करें। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया [यहाँ](#) क्लिक करें।

सहकारी समितियों के राज्य रजिस्ट्रारों के लिए सम्मेलन

रिज़र्व बैंक ने 14 नवंबर 2024 को नई दिल्ली कार्यालय में सहकारी समितियों के राज्य रजिस्ट्रारों (आरसीएस) का दूसरा सम्मेलन आयोजित किया। इस कार्यक्रम की सह-अध्यक्षता रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर श्री एम. राजेश्वर राव और श्री स्वामीनाथन जे. ने की तथा रिज़र्व बैंक के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। श्री रवींद्र कुमार अग्रवाल, अपर सचिव, सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार एवं सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार (सीआरसीएस), और श्री पंकज कुमार बंसल, अपर सचिव, सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार ने विभिन्न राज्यों की सहकारी समितियों के रजिस्ट्रारों के साथ सम्मेलन में भाग लिया।

श्री एम. राजेश्वर राव, उप गवर्नर ने सहकारी बैंकों की, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में सीमांत समुदायों की सेवा करके, वित्तीय समावेशन में महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अभिशासन और जोखिम प्रबंधन चुनौतियाँ, प्रभावी प्रबंधन में बाधा उत्पन्न कर सकती हैं तथा उन्होंने अभिशासन मानकों को लागू करने, कमजोर बैंकों का समाधान करने तथा अनुपालन को सुचारू बनाने के लिए आरसीएस और रिज़र्व बैंक के बीच मजबूत सहयोग का आग्रह किया। श्री स्वामीनाथन जे., उप गवर्नर ने एक-दूसरे की भूमिकाओं का सम्मान करते हुए रिज़र्व बैंक और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रारों के बीच समन्वित जुड़ाव के महत्व पर बल दिया। यद्यपि शहरी सहकारी बैंकों के वित्तीय संकेतकों में सुधार हुआ है, तथापि उन्होंने कारोबार, परिसंपत्ति गुणवत्ता और चलनिधि में संवृद्धि की संभावना जताई। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया [यहाँ](#) क्लिक करें।

निजी क्षेत्र के बैंकों के निदेशक मंडल का सम्मेलन

रिज़र्व बैंक ने 18 नवंबर 2024 को मुंबई में निजी क्षेत्र के बैंकों के निदेशक मंडल का एक सम्मेलन आयोजित किया, जिसका विषय था 'सुदृढ़ बोर्ड के माध्यम से परिवर्तनकारी अभिशासन'। यह रिज़र्व बैंक द्वारा निजी क्षेत्र के बैंकों के बोर्ड के साथ आयोजित दूसरा वार्षिक सम्मेलन है, जो भारतीय रिज़र्व बैंक की पर्यवेक्षित संस्थाओं के बोर्ड के साथ बैठकों की शृंखला का हिस्सा है। सम्मेलन में उप गवर्नरों द्वारा विशेष संबोधन तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा 'अभिशासन और आश्वासन कार्य', 'साइबर सुरक्षा और आईटी जोखिम' तथा 'कारोबारी जोखिम' के क्षेत्रों से संबंधित तकनीकी सत्र शामिल थे। तकनीकी सत्रों के बाद चुनिंदा निजी क्षेत्र के बैंकों के स्वतंत्र निदेशकों द्वारा 'स्वतंत्र निदेशकों की दृष्टि से अभिशासन' विषय पर पैलन चर्चा की गई। रिज़र्व बैंक के कार्यपालक निदेशकों के साथ प्रतिभागियों की खुली बातचीत के साथ सम्मेलन का समापन हुआ। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया [यहाँ](#) क्लिक करें।

एफएटीएफ उच्च जोखिम और निगरानी के अधीन अन्य क्षेत्राधिकार

रिज़र्व बैंक ने 7 नवंबर 2024 को वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (एफएटीएफ) के सार्वजनिक दस्तावेज़ 'कार्रवाई के लिए आह्वान के अधीन उच्च जोखिम वाले क्षेत्राधिकार'- अक्टूबर 2024 के बारे में सूचना दी। एफएटीएफ ने पहले धन-शोधन, आतंकवादी वित्तपोषण और प्रसार वित्तपोषण के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए उनके शासन में कार्यात्मक कमियों वाले निम्नलिखित क्षेत्राधिकारों की पहचान की थी और उन क्षेत्राधिकारों को बड़ी हुई निगरानी के अंतर्गत रखा था, जिन्होंने उनसे निपटने के लिए एफएटीएफ के साथ कार्य योजना तैयार की थी। ये क्षेत्राधिकार थे:

बुल्गारिया, बर्किना फासो, कैमरून, क्रोएशिया, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, हैती, केन्या, माली, मोनाको, मोजाम्बिक, नामीबिया, नाइजीरिया, फिलीपींस, सेनेगल, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण सूडान, सीरिया, तंजानिया, वियतनाम, वेनेजुएला और यमन। 25 अक्टूबर 2024 को एफएटीएफ के सार्वजनिक वक्तव्य के अनुसार, अल्जीरिया, अंगोला, कोटे डी आइवर और लेबनान को बड़ी हुई निगरानी के अंतर्गत क्षेत्राधिकार की सूची में जोड़ा गया है, जबकि सेनेगल को एफएटीएफ द्वारा समीक्षा के आधार पर इस सूची से हटा दिया गया है। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया [यहाँ](#) क्लिक करें।

प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण घरेलू बैंकों (डी-एसआईबी)

रिज़र्व बैंक ने 13 नवंबर 2024 को प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण घरेलू बैंकों (डी-एसआईबी) की 2024 सूची जारी की। एसबीआई, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक को डी-एसआईबी की 2023 सूची के समान ही समूह संरचना के अंतर्गत प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण घरेलू बैंकों (डी-एसआईबी) के रूप में रखा गया है। इन डी-एसआईबी के लिए अतिरिक्त सामान्य इकटिटी टियर 1 (सीईटी1) की आवश्यकता, पूंजी संरक्षण बफर के अतिरिक्त होगी। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया [यहाँ](#) क्लिक करें।

मास्टर निदेश - अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) निदेश, 2016

रिज़र्व बैंक ने 6 नवंबर 2024 को दिनांक 25 फरवरी 2016 के मास्टर निदेश - अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) निदेश, 2016 को संशोधित किया ताकि (क) 19 जुलाई 2024 की राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से धन शोधन निवारण (रिकॉर्ड का रखरखाव) नियम, 2005 में किए गए हाल ही के संशोधनों के साथ निदेशों को संरेखित किया जा सके, (ख) 'विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 51ए के कार्यान्वयन की प्रक्रिया' पर दिनांक 2 फरवरी 2021 के आदेश के संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी 22 अप्रैल 2024 के शुद्धिपत्र के संदर्भ में अनुदेशों को शामिल करने, और (ग) कतिपय मौजूदा अनुदेशों को संशोधित किया जा सके। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया [यहाँ](#) क्लिक करें।

एनबीएफसी के विरुद्ध कार्रवाई

रिज़र्व बैंक ने 26 नवंबर 2024 को दो गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) को निरस्त करने की सूचना दी। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रिज़र्व बैंक ने उनके सीओआर को निरस्त कर दिया है। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया [यहाँ](#) क्लिक करें।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 17 अक्टूबर 2024 को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45ए(1)(बी) के अंतर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नवी फिनसर्व लिमिटेड, बेंगलुरु (और तीन अन्य एनबीएफसी) को 21 अक्टूबर 2024 के कारोबार की समाप्ति से ऋण की स्वीकृति और संवितरण बंद करने संबंधी निदेश जारी किए थे। अब, कंपनी की प्रस्तुतियों के आधार पर संतुष्ट होने के बाद, और संशोधित प्रक्रियाओं, प्रणालियों को अपनाने तथा सतत आधार पर विनियामक दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, विशेष रूप से ऋण मूल्य निर्धारण में निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए, कंपनी की प्रतिबद्धता को देखते हुए रिज़र्व बैंक ने 2 दिसंबर 2024 को नवी फिनसर्व लिमिटेड पर लगाए गए उपरोक्त प्रतिबंधों को तत्काल प्रभाव से हटाने का निर्णय लिया है। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया [यहाँ](#) क्लिक करें।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 2 दिसंबर 2024 को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त

शक्तियों का प्रयोग करते हुए ज़ाब्रोने फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड का सीओआर निरस्त कर दिया। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया [यहाँ](#) क्लिक करें।

III. वित्तीय बाज़ार

ट्रेड रिपोजिटरी को विदेशी मुद्रा लेनदेन की रिपोर्टिंग

रिज़र्व बैंक ने 8 नवंबर 2024 को 5 जुलाई 2016 के मास्टर निदेश – जोखिम प्रबंधन और अंतर-बैंक लेनदेन में संशोधन किया, जिसके अनुसार अन्य बातों के साथ-साथ प्राधिकृत व्यापारियों को उनके द्वारा सीधे या अपनी विदेशी संस्थाओं (विदेशी शाखाओं, आईएफएससी बैंकिंग इकाइयों, पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों और प्राधिकृत व्यापारियों के संयुक्त उद्यम सहित) के माध्यम से की गई सभी ओवर-द-काउंटर (ओटीसी) विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव संविदाओं और विदेशी मुद्रा व्याज दर डेरिवेटिव संविदाओं की रिपोर्टिंग क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीसीआईएल) की ट्रेड रिपोजिटरी (टीआर) को करने की आवश्यकता होती है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी विदेशी मुद्रा लिखतों के लिए ट्रेड रिपोजिटरी में लेनदेन डेटा पूरा कर लिया गया है, यह निर्णय लिया गया है कि रिपोर्टिंग आवश्यकता का विस्तार करके उसमें चरणबद्ध तरीके से विदेशी मुद्रा स्पॉट सौदों (मूल्य नकदी और मूल्य टॉम (tom) सहित) को शामिल कर लिया जाए। तदनुसार, निम्नलिखित विदेशी मुद्रा संविदाओं में लेनदेन, जिसमें भारतीय रुपये शामिल हैं या अन्यथा, (इसके बाद “एफएक्स संविदा” के रूप में संदर्भित किया जाएगा) को अब ट्रेड रिपोजिटरी में रिपोर्ट किया जाएगा: क) विदेशी मुद्रा नकद; ख) विदेशी मुद्रा टॉम (tom); और ग) विदेशी मुद्रा स्पॉट। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया [यहाँ](#) क्लिक करें।

IV. विदेशी मुद्रा

एफपीआई को एफडीआई में पुनर्वर्गीकृत करने हेतु रूपरेखा

रिज़र्व बैंक ने भारत सरकार और सेबी के परामर्श से 11 नवंबर 2024 को संबंधित एफपीआई द्वारा निवेश सीमा के किसी भी उल्लंघन के मामले में विदेशी मुद्रा प्रबंध (गैर-ऋण लिखत), नियम, 2019 के तहत विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) द्वारा किए गए विदेशी पोर्टफोलियो निवेश को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) में पुनर्वर्गीकृत करने के लिए एक परिचालनगत रूपरेखा को अंतिम रूप दिया। इससे भारत में कारोबार करने में आसानी बढ़ेगी। तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक ने 11 नवंबर 2024 के ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र संख्या 19 के माध्यम से ऐसे विदेशी पोर्टफोलियो निवेशों को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में पुनर्वर्गीकृत करने के लिए परिचालनगत रूपरेखा जारी किया है।

V. पर्यवेक्षण

बैंकों में निष्क्रिय खाते / अदावी जमाराशि

रिज़र्व बैंक ने 2 दिसंबर 2024 को एक परिपत्र जारी किया जिसमें बैंकों को उन खातों की वार्षिक समीक्षा करने का आदेश दिया गया जिनमें एक वर्ष से अधिक समय से कोई ग्राहक लेन-देन नहीं हुआ है और छात्रवृत्ति/डीबीटी/ईबीटी खातों को अलग-अलग रखना सुनिश्चित करना है ताकि निर्बाध क्रेडिट की सुविधा मिल सके, भले ही वे निष्क्रिय हो जाएं। बैंकों को अभियान जैसे ग्राहक जागरूकता उपायों को लागू करना चाहिए और निष्क्रिय खातों को सक्रिय करने की प्रक्रिया को सरल करना चाहिए, जिसमें वेबसाइटों और शाखाओं पर सक्रियण दिशा-निर्देशों को प्रमुखता से प्रदर्शित करना शामिल है। परिपत्र में अदावी जमाराशि को कम करने और केवाईसी गैर-अनुपालन के कारण फ्रीज किए गए खातों जैसे मामलों के समाधान पर जोर दिया गया है, तथा बैंकों से डिजिटल और गैर-गृह शाखा चैनलों के माध्यम से केवाईसी अद्यतन जैसे ग्राहक-अनुकूल उपाय अपनाने का आग्रह किया गया है।

बैंकों को सरकारी योजनाओं से जुड़े खातों को सक्रिय करने को प्राथमिकता देनी चाहिए, ताकि डीबीटी/ईबीटी लाभार्थियों, जो अक्सर वंचित समूहों के होते हैं, को कोई परेशानी न हो। सक्रियण के लिए विशेष अभियान चलाए जाने चाहिए और शाखाओं में आधार से संबंधित सेवाओं की सुविधा दी जानी चाहिए। फ्रिज किए गए खातों को कम करने और सक्रियण प्रयासों की प्रगति की निगरानी बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति द्वारा की जाए और दिसंबर 2024 से DAKSH पोर्टल के माध्यम से तिमाही आधार पर रिपोर्ट की जाए। परिपत्र में अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक निगरानी योग्य कार्य योजना रखना अपेक्षित है। अधिक जानकारी के लिए, कृपया [यहाँ](#) क्लिक करें।

निदेशक मंडल का अधिक्रमण

रिज़र्व बैंक ने बैंकारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागु) की धारा 36एए और धारा 56 के अंतर्गत, सार्वजनिक हित और अभिशासन शासन संबंधी चिंताओं का हवाला देते हुए, अभ्युदय को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई के निदेशक मंडल के अधिक्रमण को 24 नवंबर 2024 से अतिरिक्त 12 महीने के लिए बढ़ा दिया है। श्री सत्य प्रकाश पाठक प्रशासक के रूप में बने रहेंगे, जिन्हें श्री वेंकटेश हेगड़े, श्री देवेंद्र कुमार और श्री सुहास गोखले की सलाहकार समिति द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी। अधिक जानकारी के लिए कृपया [यहाँ](#) क्लिक करें।

मौद्रिक दंड

रिज़र्व बैंक ने बैंकारी विनियमन अधिनियम, 1949 की विभिन्न धाराओं के तहत निम्नलिखित संस्थाओं पर नवंबर 2024 के माह के दौरान मौद्रिक दंड (₹1 लाख से अधिक) लगाया।

संस्था का नाम	राशि
आरबीएल बैंक लिमिटेड	₹ 61.40 लाख
साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड	₹ 59.20 लाख
तूरा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, तूरा, मेघालय	₹ 1.00 लाख
सहयोग अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, उदगीर, महाराष्ट्र	₹ 1.50 लाख
दि रैंडर पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सूरत, गुजरात	₹ 1.50 लाख
श्री महाबलेश्वर को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कर्नाटक	₹ 5.00 लाख
दि श्रीरंगम को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, तमिलनाडु	₹ 1.50 लाख
श्री चरण सौहरधा को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बेंगलुरु	₹ 2.00 लाख
बाली को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, हावड़ा, पश्चिम बंगाल	₹ 1.10 लाख
लालबाग को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, वडोदरा, गुजरात	₹ 1.00 लाख
दि नवानगर को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जामनगर, गुजरात	₹ 2.50 लाख
दि वीजापुर नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, वीजापुर, जिला मेहसाणा, गुजरात	₹ 1.00 लाख
दि जयनगर मोजिलपुर पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पश्चिम बंगाल	₹ 6.34 लाख
एम.एस. को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, वडोदरा, गुजरात	₹ 1.50 लाख
दि वेपर उद्योग विकास सहकारी बैंक लिमिटेड, जिला दाहोद, गुजरात	₹ 1.50 लाख
दि नेशनल सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बेतिया, बिहार	₹ 4.10 लाख

संस्था का नाम	राशि
दि नवादा सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बिहार	₹ 1.25 लाख
दि सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, ओडिशा	₹ 3.00 लाख
दि विजय कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, राजकोट, गुजरात	₹ 1.00 लाख
दि राजुला नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, राजुला, जिला अमरेली, गुजरात	₹ 1.25 लाख
दि कर्जन नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, कर्जन, जिला वडोदरा, गुजरात	₹ 2.10 लाख
दि आमोद नागरिक को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड आमोद, जिला भरूच, गुजरात	₹ 1.00 लाख
दि कपडवंज पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, खेड़ा, गुजरात	₹ 3.00 लाख
दि खेड़ा पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, खेड़ा, गुजरात	₹ 2.10 लाख
दि लुनावड़ा नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, लुनावड़ा, गुजरात	₹ 2.10 लाख
दि कनारा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कर्नाटक	₹ 1.00 लाख
मैक्सवैल्यू क्रेडिट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड, त्रिशूर, केरल	₹ 4.50 लाख
दि पेरियाकुलम सहकारी शहरी बैंक लिमिटेड, तमिलनाडु	₹ 2.00 लाख

VI. मुद्रा जारीकर्ता

₹2000 मूल्यवर्ग के बैंक नोटों का संचालन से वापस लेना

रिज़र्व बैंक ने 2 दिसंबर 2024 को ₹2000 मूल्यवर्ग के बैंक नोटों की वापसी लेने संबंधी स्थिति जारी की। आंकड़ों के अनुसार, 29 नवंबर, 2024 को कारोबार कारोबार की समाप्ति तक संचालन में मौजूद ₹2000 के बैंक नोटों का कुल मूल्य घटकर ₹6839 करोड़ रह गया। इस प्रकार, 19 मई, 2023 तक संचालन में मौजूद ₹2000 के बैंक नोटों में से 98.08 प्रतिशत वापस आ चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया [यहाँ](#) क्लिक करें।

VII. प्रकाशन

नगर निगम वित्त संबंधी रिपोर्ट

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 13 नवंबर 2024 को नगर निगम वित्त संबंधी रिपोर्ट जारी की। “नगर निगमों में राजस्व सृजन के अपने स्रोत: अवसर और चुनौतियाँ” विषय वाली इस रिपोर्ट में 232 नगर निगमों (एमसी), जिसमें देश के कुल एमसी के 90 प्रतिशत से अधिक शामिल हैं, के बजटीय आंकड़ों का विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। रिपोर्ट की मुख्य बातें इस प्रकार हैं: i) यद्यपि नगर निगमों का राजस्व खाता, अधिशेष में बना हुआ है, फिर भी सरकार के उच्च स्तरों से प्राप्त होने वाले अंतरणों और अनुदानों पर उनकी भारी निर्भरता बनी हुई है। ii) अधिकांश निगमों के स्वयं के स्रोत से प्राप्त राजस्व, उनके राजस्व व्यय को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है, जिससे उनकी कार्यात्मक और वित्तीय स्वायत्तता प्रभावित हो सकती है। iii) नगर निगमों के संपत्ति कर राजस्व को, भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) मानचित्रण, डिजिटल भुगतान प्रणाली, गतिशील मूल्यांकन प्रणाली और क्षरण को रोकने के लिए बेहतर निगरानी जैसी पहलों से लाभ होगा। अधिक जानकारी के लिए कृपया [यहाँ](#) क्लिक करें।

पुस्तक लेखन हेतु पुरस्कार योजना

अर्थशास्त्र/बैंकिंग/वित्तीय विषयों पर मूल रूप से हिंदी में पुस्तक लेखन हेतु पुरस्कार योजना के तहत, भारतीय रिज़र्व बैंक भारतीय विश्वविद्यालयों में कार्यरत/सेवानिवृत्त प्रोफेसर को ₹1.25 लाख के तीन पुरस्कार प्रदान करता है। रिज़र्व बैंक ने 21 नवंबर 2024 को उक्त योजना के तहत नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 16 दिसंबर 2024 निर्धारित की है। योजना के विवरण के लिए, कृपया [यहाँ](#) क्लिक करें।

भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन

रिज़र्व बैंक ने 20 नवंबर 2024 को अपनी मासिक बुलेटिन का नवंबर 2024 अंक जारी किया। बुलेटिन में पाँच भाषण, पाँच आलेख और वर्तमान आंकड़े शामिल हैं। पाँच आलेख निम्नानुसार हैं:

- अर्थव्यवस्था की स्थिति;
- भारत के लिए संतुलन विनिमय दरों का अनुमान लगाने के लिए दृष्टिकोण का समूह;
- भारत में मौद्रिक नीति संचार का गतिशील परिदृश्य;
- भारतीय कृषि में कृषि-प्रौद्योगिकी स्टार्टअप और नवाचार; और
- भारत के प्रमुख आर्थिक संकेतकों में मौसम-तत्व विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया [यहाँ](#) क्लिक करें।

अर्धवार्षिक रिपोर्ट - विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि

रिज़र्व बैंक ने 29 अक्टूबर 2024 को ‘विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि के प्रबंधन पर अर्धवार्षिक रिपोर्ट’ प्रकाशित की। ये रिपोर्ट हर वर्ष मार्च के अंत और सितंबर के अंत की स्थिति के संदर्भ में अर्धवार्षिक रूप से तैयार की जाती हैं। वर्तमान रिपोर्ट (शुंखला में 43वीं) सितंबर 2024 के अंत की स्थिति के संदर्भ में है। पूरी रिपोर्ट पढ़ने के लिए कृपया [यहाँ](#) क्लिक करें।

VIII. जारी आंकड़े

नवंबर 2024 माह के दौरान रिज़र्व बैंक द्वारा जारी महत्वपूर्ण आंकड़े निम्नानुसार हैं:

क्रम सं.	शीर्षक
1	शुक्रवार, 15 नवंबर 2024 तक भारत में अनुसूचित बैंकों की स्थिति का विवरण
2	अक्टूबर 2024 के लिए समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश
3	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की उधार और जमा दरें - नवंबर 2024
4	बैंक ऋण का क्षेत्र-वार अभिनियोजन- अक्टूबर 2024
5	अक्टूबर 2024 माह के लिए भारत के अंतर्राष्ट्रीय सेवा व्यापार संबंधी मासिक आंकड़े
6	सितंबर 2024 के महीने के लिए ईसीबी/एफसीसीबी पर डेटा
7	2024-25 की दूसरी तिमाही के लिए अखिल भारतीय आवास मूल्य सूचकांक (एचपीआई)
8	वर्ष 2024-25 की दूसरी तिमाही के दौरान निजी कॉर्पोरेट कारोबार क्षेत्र का कार्य-निष्पादन
9	तिमाही बीएसआर-1: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का बकाया ऋण – सितंबर 2024
10	तिमाही बीएसआर-2: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के पास जमा राशि – सितंबर 2024